संख्या - 48 (क)

रजि0न0एल0डब्लू/एल0पी0890
लाइसेंस न0डब्लूपी0-41
लाइसेंस व पोस्ट एण्ड कन्सनल

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्‍वारा प्रकाशित

## असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

## भाग संख्या - 4, खण्ड (ख)

## (परिनियत आदेश)

**लखनऊ, शनिवार, 7 मार्च ,1998**

फाल्गुन 16, 1919 शक सम्वत

**उत्तर प्रदेश सरकार**

कर एंव संस्थागत वित्त अनुभाग- 5

संख्या क0सं0वि0-5-741/11-98-218(16)-97

लखनऊ, 6 मार्च, 1998

<u>अधिसूचना</u>

**रजिस्ट्रेशन**

प0 सा0--75

रजिस्ट्रीकरण आधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन 1908) की धारा 5 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस निमित्त जारी की गई पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके बस्ती और सिद्धार्थनगर के वर्तमान जिलों, जैसा कि स्तम्भ-3 मे उल्लिखित है, की सीमाओं में परिवर्तन करके सन्त कबीर नगर नाम से एक नया जिला, जैसा कि स्तम्भ-2 में उल्लिखित है, बनाते हैं और सन्तकबीनगर, बस्ती और सिद्धार्थनगर जिलों की सीमाओं को, जैसा कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ-4 मे प्रत्येक के सामने उल्लिखित है, विहित करते हैं :-

**अनुसूची**

| **क्रम संख्या** | **नये जिले का नाम** | **वर्तमान जिलों का नाम** | **जिलों की सीमाएं** |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | सन्त कबीर नगर | ----- | सन्तकबीर नगर का राजस्व जिला |
| **2** | ‘’ | बस्ती | बस्ती का राजस्व जिला |
| **3** | ‘’ | सिद्धार्थनगर | सिद्धार्थनगर का राजस्व जिला |

2- उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन राज्यपाल अग्रतर सन्त कबीर नगर जिले मे निबंधक का कार्यालय स्थापित करते हैं।

3- यह अधिसूचना 09 मार्च, 1998 से प्रवृत्त होगी।

**आज्ञा से,**
**हरीश चन्द्र गुप्त,**
**प्रमुख सचिव ।**